तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

निगरानी संख्या– 05/2019 अंतर्गत धारा 30 नगर विकास न्यास अधिनियम (नगरीय भूमि निष्पादन नियम) 1974

(GCMS No. 2019/00037)

अनवान:

1. पुष्टिकर पुरोहित भादाणी पंचायत ट्रस्ट जरिए अध्यक्ष कमल किशोर भादाणी पुत्र स्व. श्री दाऊलाल भादाणी निवासी पुष्टिकर भादाणी भवन के सामने, गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर।

बनाम

1. नगर विकास न्यास बीकानेर जरिए सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर।
2. हनुमान दास व्यास पुत्र श्री नरसिंह दास व्यास निवासी भादाणियों की तलाई के पास, बीकानेर।

23.04.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार–बार आवाज लगाई गई। बार–बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 23.04.2025 को सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपर)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर